A 4/7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 5/2021

1. जीवण खां पुत्र एमन खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. एजाज नबी खां पुत्र फरीद खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. यासीन खां पुत्र फरीद खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. सज्जाद अली पुत्र फरीद खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. नूरमोहम्मद खां पुत्र हासु खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. असगर खां पुत्र हासु खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. इलियास खां पुत्र हासु खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. सबीन बानो पत्नि असगर खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
9. किशवर सुलताना पुत्री अलीमुदीन खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी तहसील व जिला झुंझुनूं।
10. मुमताज बानू पुत्री अलीमुदीन खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
11. शकीला बानू पुत्री अलीमुदीन खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
12. समीरा बानू पुत्री अलीमुदीन खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

– – अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार महोदय मंडावा, उप तहसील मंडावा, जिला झुंझुनूं।
2. मुबारिक अली पुत्र अलीमुददीन खां, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम सीगडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

– – रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 191 दिनांक 17.07.2018 नायब तहसीलदार मंडावा, वाके ग्राम सीगडी उप तहसील मंडावा, तहसील व जिला झुंझुनूं प्रविष्टि दिनांक 30.06.2018

– –

उपस्थित :-

1. श्री आबिद अली, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से।
3. मुबारिक अली रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से कोई उपस्थित नही।

आदेश

दिनांक 22.03.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान नायब तहसीलदार मण्डावा के आदेश दिनांक [illegible] प्रविष्टि दिनांक 30.06.2018 नामान्तरकरण संख्या 191 वाके ग्राम सीगडी के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की अदालत में एक दावा उनवानी नूर मोहम्मद वगै0 बनाम राजस्थान सरकार तहसीलदार झुंझुनूं बाबत घोषणार्थ एवं बंटवारा व रिकार्ड दुरूस्ती मु0नं0 45/15 वादपत्र में वर्णित वाके ग्राम सीगडी की भूमि हाल ख0न0 453, 454, 76, 77, [illegible] 247/483, 248, 418, 443, 443/364, 364, 365, 366, 384, 385, 386, 437, 438, 439, 440, [illegible] 456, 457 बाबत प्रस्तुत किया गया था। उक्त वादपत्र दिनांक 26.06.2015 को प्राथमिक रूप से स्वीकार करवाया जाकर न्यायालय दवारा प्रारम्भिक डिक्री प्रदान की गई। जिसमे उक्त न्यायालय द्वारा तहसीलदार महोदय झुंझुनूं को 500/रू फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया कि वह वादपत्र कि धारा 6 की कम सं0 1 ल0 10 के अनुसार पक्षकारान के घोषित हक व हिस्सों का पक्षकारो के मध्य भौतिक रूप से बंटवारा कर बंटवारा का प्रस्ताव 7 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करे जिसकी पालना में तहसीलदार झुंझुनूं ने हल्का पटवारी व गिरदावर की मौजूदगी में मौके पर विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.06.2016 को तैयार किया गया उक्त विभाजन में खातेदारान को मौके पर काश्त के अनुसार निम्न प्रकार से खातेदारी काश्तकारी प्रदान कि गई।

[illegible] पुत्र फरीद खां को:–
भूमि हाल ख0न0 76 रकबा 2.30 हैक्टर व
भूमि हाल ख0न0 77 मी रकबा 0.20 हैक्टर कुल 2.50 हैक्टर भूमि

[illegible] अली पुत्र फरीद खां :–
भूमि हाल ख0न0 77 मी रकबा 0.09 हैक्टर व
भूमि हाल ख0न0 132 रकबा 0.72 हैक्टर
भूमि हाल ख0न0 453 रकबा 1.00 हैक्टर
भूमि हाल ख0न0 454 रकबा 0.69 हैक्टर कुल 2.50 हैक्टर

[illegible] खां पुत्र फरीद खां :–
भूमि हाल ख0न0 384 रकबा 1.23 हैक्टर
भूमि हाल ख0न0 453 रकबा 1.27 हैक्टर कूल 2.50 हैक्टर भूमि

[illegible] नबी खां पुत्र फरीद खां :–
भूमि हाल ख0न0 384 रकबा 1.23 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 439 रकबा 0.63 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 440 रकबा 0.03 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 454 रकबा 0.61 हैक्टर भूमि कुल 2.50 हैक्टर

नूर मोहम्मद पुत्र हासु खां :–
भूमि हाल ख0न0 418 रकबा 1.56 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 443 रकबा 0.82 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 443/464 रकबा 0.51 हैक्टर भूमि कुल 2.89 हैक्टर भूमि

[illegible] खां पुत्र हासु खां:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested

भूमि हाल ख0न0 385 रकबा 1.77 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 443/464 रकबा 0.52 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 440 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 441 रकबा 0.78 हैक्टर भूमि कुल 3.11 हैक्टर भूमि

इलियास खां पुत्र हासू खां:-

भूमि हाल ख0न0 364 रकबा 3.80 हैक्टर भूमि

अमीन बानो पत्नि असगर खां हिस्सा 2.17 जीवण खां पुत्र एमन खां हिस्सा 2.20 हैक्टर

भूमि हाल ख0न0 456 रकबा 1.90 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 457 रकबा 2.47 हैक्टर भूमि कुल 4.37 हैक्टर भूमि।

जीवण खां पुत्र एमन खां

भूमि हाल ख0न0 365 रकबा 0.22 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 366 रकबा 1.68 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 439 रकबा 2.40 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 440 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 454 रकबा 0.55 हैक्टर भूमि कुल 5.25 हैक्टर भूमि

सज्जाद अली आसीन खां एजाज नबी पि. फरीद खां नुरमोहम्मद खां असगर खां ईलियास खां पि. हासु खां जीवण खां पि. एमन खां जाति कायमखानी सा देह खातेदार

भूमि हाल ख0न0 366 मी. रकबा 0.05 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 418 मी. रकबा 0.08 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 443 मी. रकबा 0.05 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 443/464 मी. रकबा 0.05 हैक्टर भूमि
भूमि हाल ख0न0 453 मी. रकबा 0.03 हैक्टर भूमि कुल 0.26 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार के हिस्से अनुसार मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया व दिनांक 12.04.2018 को उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र में अंतिम निर्णय व डिक्री प्रदान की गई । उक्त निर्णय व डिक्री की पालना के विपरीत अदालत मातहत नायब तहसीलदार मंडावा द्वारा निर्णय व डिक्री व विभाजन प्रस्ताव के विपरीत जाकर खातेदारान का गलत राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किये गये। अदालत मातहत का नामान्तरकरण आदेश स. 191 दिनांक 17.07.2018 खिलाफ कानून व विरूद्ध कार्यवाही है। उक्त भूमि के खातेदार आसीन खां पुत्र फरीद खां को भूमि हाल ख0न0 भूमि हाल ख0न0 384 रकबा 1.23 हैक्टर भूमि हाल ख0न0 453 रकबा 1.27 हैक्टर कुल 2.50 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित फरमाया गया था। लेकिन अदालत मातहत तहसीलदार मंडावा द्वारा नामान्तरकरण सं0 191 दिनांक 30.06.2018 में अपीलान्ट आसीन खां को प्राथमिक निर्णय व डिक्री अनुसार बनाये गये विभाजन प्रस्ताव के विपरीत जाकर भूमि ख0न0 384 व ख0न0 453 की खातेदारी प्रदान नही की वरन उक्त कथित भूमि नाजायज व गैर कानूनी रूप से एजाज नबी खां पुत्र फरीद खां के नाम गलत रूप से दर्ज की है। न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री व उसके आधार पर बने विभाजन प्रस्ताव व अंतिम निर्णय व डिक्री में जीवण खां पुत्र एमन खां को भूमि भूमि हाल ख0न0 365 रकबा 0.22 हैक्टर, भूमि हाल ख0न0 366 रकबा 1.68 हैक्टर भूमि हाल ख0न0 439 रकबा 2.40 हैक्टर भूमि, हाल ख0न0 440 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि, हाल ख0न0 454 रकबा 0.55 हैक्टर भूमि, कुल 5.25 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया गया था लेकिन अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा नाजायज व गैरकानूनी रूप से नामान्तरकरण सं0 191 दिनांक 17.07.2018 में [illegible] से खातेदार जीवण खां की भूमि सज्जाद खां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री व उसके आधार पर बने विभाजन प्रस्ताव व [illegible] डिक्री में खातेदार एजाज नबी हाल ख0न0 384 रकबा 1.23 हैक्टर भूमि हाल ख0न0 439 रकबा 0.63 हैक्टर भूमि हाल ख0न0 440 रकबा 0.03 हैक्टर भूमि हाल ख0न0 454 रकबा 0.61 हैक्टर भूमि कुल 2.50 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित फरमाया गया था लेकिन अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा नाजायज व

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested

A 4/5

गैरकानूनी रूप से नामान्तरकरण सं0 191 दिनाक 17.07.2018 में गलत रूप से खातेदार एजाज नबी की भूमि जीवण खां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर कानूनी भूल की है इस बाबत अपीलान्ट एजाज नबी खा ने राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत नायब तहसीलदार महोदय मंडावा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर गौर नही कर प्रार्थी के खसरा नम्बरान का दुरूस्त नही किया गया है इसलिये अपीलान्ट को मजबूरन यह अपील प्रस्तूत करनी पड रही है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नायब तहसीलदार मंडावा के नामान्तरकरण सं0 191 दिनांक 17.07.2018 बाबत ग्राम सीगडी को निरस्त फरमाया जाकर नायब तहसीलदार मंडावा को आदेशित किया जावे कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय व उसके आधार पर दर्ज विभाजन प्रस्ताव अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2018 द्वारा पक्षकारान का विभाजन तहसीलदार झुंझुनू द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के यहां दिनांक 14.11.2017 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर किया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने अपने में आदेश में तहसीलदार झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को आदेश का भाग मानते हुये पक्षकारान का वाद स्वीकार किया है। परन्तु अदालत मातहत ने अपने नामान्तरकरण में उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंकन नहीं किया, बल्कि उसके विपरित हिस्सों का अंकन कर दिया। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नायब तहसीलदार मंडावा के नामान्तरकरण सं0 191 दिनांक 17.07.2018 को निरस्त फरमाया जाकर नायब तहसीलदार मंडावा को आदेशित किया जावे कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय व उसके आधार पर दर्ज विभाजन प्रस्ताव अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण सं0 191 दिनांक 17.07.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के आदेश के अनुसार दर्ज किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्टस ने अपील निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत की है, जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया प्रकरण में अपीलान्टस का कथन यह है कि अदालत मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 191 पर पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 [illegible] उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2018 के अनुसार दर्ज नहीं किया। अदालत मातहत द्वारा दर्ज नामान्तरकरण, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] दिनांक 12.04.2018 तथा तहसीलदार झुंझुनू के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.11.2017 [illegible] से अपीलान्टस का तर्क सही प्रतीत होता है। अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण में हिस्सों का अंकन विभाजन प्रस्ताव के अनुसार नहीं किया है। अपील अपीलान्टस स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या [illegible] पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के [illegible] किया जाता है कि अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के आदेश के निर्णय व [illegible] दिनांक 12.04.2018 तथा तहसीलदार झुंझुनू के विभाजन प्रस्ताव 14.11.2017 को ध्यान में रखते [illegible] विधिसम्मत् नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति [illegible] हों।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested